[2024] 11 एस.सी.आर. 1269: 2024 आइएनएससी 908

कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी

बनाम

एसएचओ काकटी पुलिस के माध्यम से कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 551/2012)

(29 नवंबर 2024)

[पंकज मिथल एवं उज्जल भुयान, न्यायाधीश**]**

विचारणीय मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-अभियुक्त की दोषमुक्ति को पलटते हुए उसे भारतीय दंड संहिता की धाराओं 417 एवं 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना उचित था।

शीर्ष टिप्पणियां

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धाराएँ 306, 107, 417 - जब मृतका द्वारा अपीलकर्ता से विवाह के लिए कहा गया, तो अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया - इसके पश्चात मृतका ने आत्महत्या कर ली - तथ्यों के आधार पर, क्या अपीलकर्ता ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया:

अभिनिर्धारित: नहीं - मृतका के मरणोपरांत कथन से यह संकेत मिलता है कि मृतका ही अपीलकर्ता से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। दोनों के बीच किसी शारीरिक संबंध, अपीलकर्ता द्वारा विवाह का कोई वचन देने या मृतका को विषपान करने अथवा आत्महत्या के लिए उकसाने में उसकी किसी भूमिका का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब अपीलकर्ता गांव छोड़कर चला गया, तब मृतका ने ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, उसका पता लगाया और उसके पीछे गई। उसने उसे बुलाया और जब दोनों मिले, तो अपीलकर्ता ने

उससे विवाह करने से इंकार कर दिया, जिससे उसकी भावनाएँ आहत हुईं और उसने विषपान कर लिया। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलकर्ता ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया। इसके विपरीत, मृतका स्वयं एक बोतल में विष लेकर पूर्वनिश्चित मनःस्थिति के साथ गई थी कि वह अपीलकर्ता से विवाह के लिए सहमति प्राप्त करेगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु यह आवश्यक है कि अभियुक्त के मन में ऐसे अपराध के लिए स्पष्ट आपराधिक आशय (mens rea) हो तथा कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य हो, जिससे आत्महत्या की घटना घटित हुई हो। मृतका द्वारा पूछे जाने पर अपीलकर्ता ने मात्र उससे विवाह करने से इंकार किया, जो उसके द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कोई सकारात्मक कृत्य नहीं माना जा सकता। अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई दोषपूर्ण आशय (mens rea) स्थापित नहीं हुआ है। अतः उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है तथा अपीलकर्ता को दोषमुक्त किया जाता है। [अनुच्छेद 16, 17, 23, 30, 31]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 306 - आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण - वैवाहिक विवादों के मामलों में - जब तक दोषपूर्ण आशय स्थापित न हो, धारा 306 के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं होता।

अभिनिर्धारित: घरेलू जीवन में मतभेद और असहमति समाज में सामान्य बात है और आत्महत्या जैसे अपराध का होना मुख्यतः पीड़ित की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। जब तक अभियुक्त के पक्ष में कोई दोषपूर्ण आशय स्थापित नहीं किया जाता, तब तक सामान्यतः उसे धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना संभव नहीं है। [अनुच्छेद 25]

शब्द एवं वाक्यांश - "दुष्प्रेरण (abetment)"; "उकसाना (instigation)" - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धाराएँ 306, 107 - आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण - किसी कार्य का दुष्प्रेरण - विवेचित। [अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, 26]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य सप्ली. **4 एससीआर 247 : (2001) 9 एससीसी 618**; *एम. मोहन बनाम पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित राज्य* **3 एससीआर 437 : (2011) 3**

एससीसी 626; *अमलेंदु पाल उर्फ झंतु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **15 एससीआर 836 : (2010) 1 एससीसी 707** – अवलंबित;

प्रभु बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित राज्य एवं अन्य 2024 **एससीसी ऑनलाइन एससी137** – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

प्रमुख शब्दों की सूची

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण; किसी कार्य का दुष्प्रेरण; "दुष्प्रेरण"; "उकसाना"; मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया; मरणोपरांत कथन; मृतका का अभियुक्त से प्रेम; टूटे हुए संबंध; हृदय-भंग; छल; कोई शारीरिक संबंध नहीं; विवाह का कोई वचन नहीं; विषपान; विवाह से इंकार; कोई दोषपूर्ण आशय नहीं; आत्महत्या की घटना घटित करने हेतु कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य; कोई सकारात्मक कृत्य नहीं; आत्महत्या के अपराध के लिए दुष्प्रेरण का आशय; दोषमुक्ति को पलटा गया; घरेलू जीवन में मतभेद एवं असहमति।

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 551/2012

कर्नाटक उच्च न्यायालय, धारवाड़ सर्किट पीठ द्वारा सीआरएलए संख्या 2806/2010 में दिनांक 15.12.2011 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

शिरीष के. देशपांडे, शरणगौड़ा पाटिल, सुश्री सुप्रीता शरणगौड़ा, ज्योतिष पांडेय, अधिवक्ता – अपीलकर्ता की ओर से।

मुहम्मद अली खान, अपर महाधिवक्ता, उमर होदा, सुश्री ईशा बक्शी, अर्जुन शर्मा, कमरान खान, सुश्री गुरबानी भाटिया, डी. एल. चिदानंद, अधिवक्ता – उत्तरदाता की ओर से।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

<u>आदेश</u>

पंकज मिथल, न्यायाधीश

1. अभियुक्त-अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता1 की धाराओं 417, 376 एवं 306 के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे। विचारण न्यायालय ने उसे उपर्युक्त सभी अपराधों से दोषमुक्त कर दिया, किन्तु कर्नाटक राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील पर उसे धारा 417 एवं 306 आईपीसी के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया। तथापि, धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत दोषमुक्ति को यथावत रखा गया। उसे धारा 417 आईपीसी के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास तथा ₹5,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया; तथा धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत 4 वर्ष का कारावास एवं ₹20,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। मूलतः, अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि केवल छल तथा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराधों के लिए की गई है।
2. सुवर्णा नामक एक युवती, जिसकी आयु लगभग 21 वर्ष थी, पिछले 8 वर्षों से अभियुक्त-अपीलकर्ता से प्रेम करती थी, अर्थात वह 13 वर्ष की आयु से ही उससे प्रेम करती थी। यह आरोप है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने का वचन दिया था, किन्तु जब उसने विवाह से इंकार कर दिया, तो उसने विषपान कर आत्महत्या कर ली।
3. यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी, कमरुद्दीन दास्तगीर सनदी, ने मृतका से ग्राम पंचायत/जमात के समक्ष विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन घटना से लगभग 4 माह पूर्व वह गाँव छोड़कर ककाटी, कर्नाटक में रहने लगा था। मृतका 18.08.2007 की संध्या में काकटि आई, और जब अभियुक्त-अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, तो वह वहाँ से चली गई। मृतका ने पूरी रात ककाटी के बस स्टैंड पर बिताई और प्रातः उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया, जिसे वह गदहिंग्लज से अपने साथ लाई थी।

---

1. संक्षिप्त में आइपीसी

अभियुक्त-अपीलार्थी के संबंधी बादशाह (पीडब्ल्यू-5) ने उसे बस स्टैंड पर पड़ा पाया और लगभग 08:50 बजे, 19.08.2007 को उसे अस्पताल पहुँचाया। पीएसआई, ककाटी (पीडब्ल्यू-15) ने मृतका का कथन अपराह्न 3 बजे से 4 बजे के बीच दर्ज किया और तत्पश्चात मृतका का मृत्यु-पूर्व कथन दर्ज कराने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अनुरोध भेजा। मृतका का मृत्यु-पूर्व कथन बेलगाम के तालुका कार्यपालक मजिस्ट्रेट (पीडब्ल्यू-11) द्वारा चिकित्सक (पीडब्ल्यू-12) की उपस्थिति में अपराह्न 04:50 बजे से 05:20 बजे के बीच दर्ज किया गया। इसके बाद उसी दिन अर्थात् 19.08.2007 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

4. मृतका की माता (PW-1) ने दिनांक 20.08.2007 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत, पुलिस थाना काकती, सर्किल बेलगाम ग्रामीण जिला, कर्नाटक में अभियुक्त-अपीलकर्ता तथा उसके चाचा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई। इसमें यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसकी पुत्री को विवाह का वादा करके धोखा दिया और बाद में उससे मुकर गया, जिसके कारण निराशा में आकर उसने आत्महत्या कर ली।
5. जांच के पश्चात अभियोजन पत्र (चार्जशीट) तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 417, 376 तथा 306 के अंतर्गत आरोप लगाए गए। अभियुक्त-अपीलकर्ता को 20.08.2007 को गिरफ्तार किया गया और बाद में विचारण (ट्रायल) के दौरान उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बेलगाम ने दिनांक 13.04.2010 के निर्णय एवं आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलकर्ता को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि मृत्युपूर्व कथन (डाइंग डिक्लेरेशन) में यह कोई आरोप नहीं था कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने विवाह का झूठा वादा कर मृतका के साथ कभी यौन संबंध स्थापित किया हो या उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया हो। उसका एकमात्र आरोप यह था कि अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा विवाह से इनकार किए जाने के कारण उसने विष का सेवन किया। यह भी कोई आरोप

नहीं था कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसे विष सेवन करने या आत्महत्या करने के लिए उकसाया हो।

6. इसके अतिरिक्त, मृतका की माता (PW-1) के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि केवल मृतका ही अभियुक्त-अपीलकर्ता से प्रेम करती थी, न कि इसके विपरीत। मृतका ने अपनी माता पर यह प्रभाव डाला था कि वह अभियुक्त-अपीलकर्ता को उससे विवाह करने के लिए समझाएँ, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। मृतका की माता (PW-1) ने कहीं भी यह नहीं कहा कि अभियुक्त-अपीलकर्ता उसकी पुत्री से प्रेम करता था। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मृतका के साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित किया था, सिवाय इसके कि उसने पंचायत के समक्ष उससे विवाह करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जो कि सिद्ध नहीं हो सकी।
7. अतः, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा इस तथ्य के साथ कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मृतका को विष सेवन करने या आत्महत्या करने के लिए उकसाया अथवा सहायता की थी, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया।
8. कर्नाटक राज्य द्वारा अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 417 एवं 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। अतः, प्रस्तुत अपील।
9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से और ध्यानपूर्वक सुना गया।
10. अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य (रत्ती भर भी) उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (abetment) किया गया हो या उसने छल (cheating) किया हो, और यह कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को पलटने में उच्च न्यायालय न्यायसंगत नहीं था।
11. प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में आरोप लगाया गया है कि परिवादिनी की पुत्री ने बी.ए. पूर्ण करने के उपरांत गढ़िंगलाज में एम.ए. में प्रवेश लिया। मृतका की माता को यह ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री गाँव के एक मुस्लिम युवक, कमरुद्दीन दस्तगीर सनादी (अभियुक्त-अपीलकर्ता) से प्रेम करती थी। उसने उनके संबंध के बारे में गाँव के मुस्लिम समुदाय के

प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शिकायत की, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ता और मृतका दोनों उपस्थित थे, और दोनों ने विवाह करने पर सहमति व्यक्त की। यह आरोप है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसकी पुत्री को धोखा दिया तथा उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, और बाद में विवाह से इनकार कर दिया, जिसके कारण वह विष सेवन करने के लिए विवश हुई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

12. मृतका द्वारा दो मृत्युपूर्व कथन (डाइंग डिक्लेरेशन) छोड़े गए हैं, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं। Exh. P17 वह मृत्युपूर्व कथन है जिसे काकती के PSI (PW-15) द्वारा दर्ज किया गया, जबकि Exh. P10 एक अन्य मृत्युपूर्व कथन है जिसे बाद में तालुका कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बेलगाम (PW-11) द्वारा, चिकित्सक (PW-12) की उपस्थिति में, दिनांक 19.08.2007 को अपराह्न 04:50 बजे से 05:20 बजे के बीच अस्पताल में दर्ज किया गया।

13. मृतका का मृत्युपूर्व कथन, जो काकती के PSI द्वारा विधिवत दर्ज किया गया, यह दर्शाता है कि मृतका 21 वर्ष की एक छात्रा थी, जो एम.ए. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थी। वह अभियुक्त-अपीलकर्ता से प्रेम करती थी, जो लगभग 4 माह पूर्व गाँव छोड़कर काकती, बेलगाम में रहने लगा था। कथित रूप से घटना से लगभग 8 दिन पूर्व उसने मृतका को फोन कर काकती आने के लिए कहा। वह 18.08.2007 की शाम काकती पहुँची और अवंती होटल में उससे मिली। उसने उससे विवाह करने का अनुरोध किया, परंतु उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और वहाँ से चला गया। इसके पश्चात वह बस स्टॉप गई और अपने साथ गढ़िंगलाज से लाया हुआ विष सेवन कर लिया।

14. बाद में तालुका कार्यकारी मजिस्ट्रेट (PW-11), बेलगाम द्वारा दिनांक 19.08.2007 को दर्ज किया गया मृत्युपूर्व कथन यह दर्शाता है कि मृतका की आयु लगभग 21 वर्ष थी और वह अपनी माता, बड़ी बहन तथा छोटे भाई के साथ रहती थी तथा एम.ए. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत थी। वह पिछले लगभग 8 वर्षों से अभियुक्त-अपीलकर्ता के साथ प्रेम संबंध में थी। उनका यह संबंध दोनों परिवारों के बड़ों के संज्ञान में आ गया था और सभी ने उनका विवाह कराने का निर्णय लिया। अभियुक्त-अपीलकर्ता ने गाँव के बड़ों के समक्ष उससे विवाह करने के लिए सहमति भी दी थी। वह लगभग 4 माह पूर्व गाँव छोड़कर चला गया था और जब उसने उसके बारे में जानकारी ली तो उसे पता चला कि वह काकती में

रह रहा है। वह काकती गई, उसे खोजा और उसे फोन किया। इसके बाद वह अवंती होटल में उससे मिली और उससे विवाह करने का अनुरोध किया, किंतु उसने विवाह से इनकार कर दिया। इसके पश्चात उसने गढ़िंगलाज से बोतल में लाया हुआ विष सेवन कर लिया। उसे उपचार के लिए काकती के निवासी अभियुक्त-अपीलकर्ता के एक रिश्तेदार बदशाहा नजीर पठान (PW-5) द्वारा अस्पताल ले जाया गया।

15. उक्त कथन मराठी में किया गया था और उसका अनुवादित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की गई। चिकित्सक ने प्रमाणित किया था कि रोगी पूर्णतः सचेत एवं बयान देने के लिए सक्षम थी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट, बेलगाम ने यह अभिलिखित किया है कि मृतका की मानसिक स्थिति निराशाजनक (हताश) थी।

16. मृतका के मृत्युपूर्व कथन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता और मृतका के बीच किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध का कोई आरोप नहीं है, न ही यह आरोप है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने विवाह के बहाने मृतका के साथ कभी कोई शारीरिक संबंध स्थापित किया हो या यौन संबंध बनाया हो। मृत्युपूर्व कथन से यह भी संकेत मिलता है कि केवल मृतका ही अभियुक्त-अपीलकर्ता से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। जब अभियुक्त-अपीलकर्ता गाँव छोड़कर चला गया, तो उसी ने उसके बारे में खोजबीन की और यह जाना कि वह काकती में रह रहा है। उसने स्वयं उसे काकती में खोज निकाला और उसके पीछे गई। उसने उसे फोन किया और जब दोनों मिले, तो उसने विवाह से इनकार कर दिया। फलस्वरूप, उसकी भावनाएँ आहत होने के कारण उसने विष का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

17. उसके द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसे विष सेवन करने या आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ तक कि मृतका की माता (PW-1) ने भी अपने बयान में यह स्पष्ट किया कि मृतका ही अभियुक्त-अपीलकर्ता से प्रेम करती थी और वह चाहती थी कि उसकी माता उसे उससे विवाह करने के लिए राजी करे। उक्त साक्षी ने यद्यपि यह कहा हो कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उसकी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, तथापि यह कथन अन्यथा सिद्ध या पुष्ट (corroborated) नहीं हो सका, यहाँ तक कि मृत्युपूर्व कथनों से भी इसकी पुष्टि नहीं होती। जहाँ तक अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा विवाह का वादा किए जाने का प्रश्न है, यह कहा गया कि ऐसा वादा गाँव के बड़ों

के समक्ष किया गया था, जिसके संदर्भ में नज़रुद्दीन मोहम्मद मलिक (PW-3) और काशिम बाबालाल संकेश्वर (PW-4) का परीक्षण किया गया। इन दोनों साक्षियों ने कहा कि उन्होंने पंचायत की कार्यवाही के संबंध में एक लिखित दस्तावेज मृतका और उसकी माता को प्रदान किया था, परंतु ऐसा कोई दस्तावेज PW-1 द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने वास्तव में कभी उसकी पुत्री से विवाह करने का वादा या सहमति दी थी। केवल आरोप है, परंतु यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता भी मृतका से प्रेम करता था या किसी भी प्रकार से उसके संपर्क में था। यह आरोप कि दोनों आपस में फोन पर बातचीत करते थे, निराधार है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी साक्ष्य, जैसे कॉल रिकॉर्ड, प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्थापित हो सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता मृतका को फोन करता था या उससे बात करता था अथवा वह भी उससे प्रेम करता था। यहाँ तक कि यह स्थापित करने के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने विवाह के बहाने मृतका के साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित किया था। अतः साक्ष्य यह सिद्ध करने में असफल रहे कि दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध था, अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा विवाह का कोई वादा किया गया था, या उसने मृतका को विष सेवन करने अथवा आत्महत्या करने के लिए उकसाने में कोई भूमिका निभाई थी।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:

> "*306. यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।*"

19. यह आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान करता है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए आत्महत्या का 'दुष्प्रेरण' एक आवश्यक तत्व है।

20. दुष्प्रेरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"107. किसी कार्य का दुष्प्रेरण– कोई व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि वह–

प्रथम– किसी व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है; या

द्वितीय– उस कार्य के किए जाने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ किसी षड्यंत्र में सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस कार्य के किए जाने के उद्देश्य से कोई कृत्य या अवैध चूक घटित होती है; या

तृतीय– किसी कृत्य या अवैध चूक द्वारा जानबूझकर उस कार्य के किए जाने में सहायता करता है।"

21. उपर्युक्त प्रावधान की प्रथम धारा यह निर्धारित करती है कि जो व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, वह वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति को उस कार्य को करने के लिए उकसाता है। अतः किसी व्यक्ति पर दुष्प्रेरण का आरोप स्थापित करने के लिए किसी विशेष कार्य को करने हेतु 'उकसाना' आवश्यक है।

22. 'उकसाना (instigation)' का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, भड़काना या प्रोत्साहित करना।

23. इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने अथवा किसी कार्य को करने में उसकी जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती है और अभियुक्त की ओर से किसी सकारात्मक कृत्य के अभाव में 'उकसाना' नहीं माना जा सकता। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने हेतु अभियुक्त के पक्ष में ऐसे अपराध के लिए स्पष्ट दोषपूर्ण आशय होना आवश्यक है तथा आत्महत्या की घटना घटित होने हेतु कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य होना आवश्यक है।

24. **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**2 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पत्नी द्वारा आत्महत्या के एक मामले पर विचार किया, जिसमें पति ने क्रोध में यह कहा था– 'तुम जो चाहो कर सकती हो और जहाँ चाहो जा सकती हो।' इसके पश्चात पत्नी ने आत्महत्या कर ली। न्यायालय ने 'उकसाने' के अर्थ का परीक्षण करने के पश्चात, जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण का एक आवश्यक तत्व है, यह अवलोकन किया कि भावावेश में कहे गए ऐसे शब्द दोषपूर्ण आशय (mens rea) का गठन नहीं करते हैं और न ही वे दूसरे

पक्ष को वास्तव में ऐसा कार्य करने के लिए जानबूझकर उकसाने के समान हैं, जिससे आत्महत्या की घटना घटित हो सकती है।

25. यहाँ तक कि उन मामलों में भी, जहाँ पीड़ित आत्महत्या कर लेता/लेती है, जो संभवतः उसके साथ किए गए क्रूर व्यवहार का परिणाम हो सकता है, न्यायालयों ने सदैव यह माना है कि घरेलू जीवन में मतभेद और असहमति समाज में सामान्य हैं तथा ऐसे अपराध का होना मुख्यतः पीड़ित की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से, जब तक अभियुक्त के पक्ष में कोई दोषपूर्ण आशय स्थापित नहीं किया जाता, तब तक सामान्यतः उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना संभव नहीं है।

26. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध के गठन के प्रमुख तत्वों को इस न्यायालय ने ***एम. मोहन बनाम पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित राज्य***3 में स्पष्ट किया था और यह इस प्रकार अवलोकित किया गया:

> *"43. इस न्यायालय ने चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) में दुष्प्रेरण के इस पहलू पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया था। न्यायालय ने 'उकसाना (instigation)' तथा 'उत्तेजित करना (goading)' शब्दों के शब्दकोशीय अर्थ का परीक्षण किया। न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि किसी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को प्रेरित, उकसाने या प्रोत्साहित करने का आशय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति (suicidability pattern) अन्य से भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की अवधारणा होती है। अतः ऐसे मामलों में कोई निश्चित एवं कठोर मानदंड निर्धारित करना संभव नहीं है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।*
>
> *44. दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति को उकसाने अथवा किसी कार्य को करने में उसकी जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती है। अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक कृत्य न होने पर दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।*

45. विधायिका की मंशा तथा इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अनुपात (ratio) स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए उसके पक्ष में अपराध करने का स्पष्ट दोषपूर्ण आशय होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य भी होना चाहिए, जिसके कारण मृतक/मृतका को कोई विकल्प न दिखे और वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, तथा यह कृत्य इस उद्देश्य से किया गया हो कि उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया जाए जहाँ वह आत्महत्या कर ले।

27. इन्हीं सिद्धांतों को इस न्यायालय ने **अमलेंदु पाल उर्फ झंतु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[4] में पुनः दोहराया है तथा इन्हें पु**नः प्रभु बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित राज्य एवं अन्य**[5] में भी प्रतिपादित किया गया है।

28. प्रभु बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित राज्य एवं अन्य में न्यायालय ने आगे यह अवलोकन किया कि टूटे हुए संबंध एवं हृदय-भंग सामान्य जीवन का हिस्सा हैं और संबंध-विच्छेद अपने आप में आत्महत्या के लिए न तो उकसाना है और न ही दुष्प्रेरण। क्योंकि 'उकसाना' स्थापित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपने कृत्यों एवं चूकों अथवा निरंतर आचरण के माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक/मृतका के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष न रहा हो।

29. अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने किसी भी प्रकार से मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया या प्रेरित किया। मृतका द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मात्र उससे विवाह करने से इंकार किया, जो उसके द्वारा आत्महत्या के अपराध के लिए दुष्प्रेरण करने के किसी आशय के साथ किया गया कोई सकारात्मक कृत्य नहीं माना जा सकता।

---

2. [2001] पूरक 4 एससीआर 247:(2001) 9 एससीसी 618
3. [2011] 3 एससीआर 437:(2011) 3 एससीसी 626
4. [2009] 15 एससीआर 836:(2010) 1 एससीसी 707
5. 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 137

30. यदि हम वर्तमान मामले का परीक्षण उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों की कसौटी पर करें, तो हम पाते हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मात्र मृतका से विवाह करने से इंकार किया था और इस प्रकार, यह मान भी लिया जाए कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था, तब भी यह केवल एक टूटे हुए संबंध का मामला है, जो अपने आप में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जा सकता। अभियुक्त-अपीलकर्ता ने किसी भी प्रकार से मृतका को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं किया; बल्कि मृतका स्वयं अपने गांव से कर्नाटक के काकाती जाते समय एक बोतल में विष लेकर गई थी, इस पूर्वनिश्चित मनःस्थिति के साथ कि वह अभियुक्त-अपीलकर्ता से विवाह के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त करेगी और यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। अतः ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने उससे विवाह करने से इंकार किया, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, प्रेरित किया या भड़काया।

31. यह मान भी लिया जाए कि, यद्यपि इसका कोई साक्ष्य नहीं है, अभियुक्त-अपीलकर्ता ने मृतका से विवाह करने का वचन दिया था, तब भी यह केवल एक टूटे हुए संबंध का मामला है, जिसके लिए पृथक कारण-ए-कार्य (cause of action) हो सकता है, किन्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अभियोजन या दोषसिद्धि का आधार नहीं बनता, विशेषतः इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, जहाँ अभियुक्त-अपीलकर्ता के पक्ष में कोई दोषपूर्ण आशय स्थापित नहीं किया गया है।

32. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय का दिनांक 15.12.2011 का निर्णय एवं आदेश विधि की दृष्टि से स्थिर नहीं रह सकता और इसे निरस्त किया जाता है तथा अभियुक्त-अपीलकर्ता को, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा किया गया था, दोषमुक्त किया जाता है।

33. अपील स्वीकार की जाती है तथा व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत

† शीर्ष टिप्पणियां दिव्या पांडेय द्वारा तैयार की गईं।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|